

दिनांक 17 जुलाई, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पर उत्पाद

*19. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के परामर्श से शुरू किए गए और गत छह माह से कार्यरत गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गवर्नमेंट ई-मार्केट के माध्यम से विपणन की जाने वाली मिनीयेचर सर्किट ब्रेकर (एम.सी.बी.) और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड (डी.बी.) जैसी वस्तुओं के लिए छूट की मांग के संदर्भ में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अगस्त 2016 में ही इन वस्तुओं का पिछला रेट कांट्रैक्ट (आरसी) समाप्त हो चुका है और अगस्त 2016 के बाद अभी तक मांगकर्ता इनके लिए न तो क्रयादेश दे पाए हैं और न ही इनकी खरीद कर सके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने एम.सी.बी. और डी.बी. के लिए रेट कांट्रैक्ट की पुरानी प्रथा को पुनः बहाल करने तथा छोटे विनिर्माताओं को बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ङ) : सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

जीईएम पर उत्पादों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तर के लिए नियत तारोंकित प्रश्न सं. 19 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड) : इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनईजीडी की तकनीकी सहायता से डी.जी.एस. एण्ड डी ने गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल को होस्ट किया । जीईएम पोर्टल शुरू से लेकर अंत तक एक आनलाइन खरीद पोर्टल है । इसका शुभारंभ 9 अगस्त, 2016 को किया गया था । जीएफआर 2017 के नियम सं. 149 के द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीद को नियंत्रित किया जाता है और जीएफआर के अनुसार, मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्राप्ति जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए अनिवार्य होगा । 6 जुलाई, 2017 तक, 4517 सरकारी संगठनों ने इसके जरिये खरीद के लिए जीईएम पर पंजीकरण कराया है । 724 उत्पाद श्रेणियाँ हैं, जिनमें 38618 उत्पादों की 14074 विक्रेताओं द्वारा पेशकश की गयी है । इसके अलावा, 2732 सेवा प्रदाताओं ने सेवा श्रेणी में अपनी सेवाएं देने की पेशकश की हैं ।

जी हाँ, लघु सर्किट ब्रेकरों (एमसीबीएस) एवं वितरण बोर्डों (डीबी) हेतु अंतिम दर संविदा अगस्त, 2016 में समाप्त हो गयी । तथापि, इंडेन्टर्स जीईएम के जरिये इन मदों को प्रतिस्पर्धी दरों पर खरीद सकते हैं जिसमें ये दोनों मदें उपलब्ध हैं । जीईएम छोटे विनिर्माताओं को सहयोग प्रदान करता है जो बिना किसी परेशानी के आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और सरकारी संगठनों को आपूर्ति कर सकते हैं । जीईएम उद्यमशीलता एवं उद्यम को प्रोत्साहित करता है ।
